उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-133/2024/2803/26-3-2024-1830533
लखनऊः दिनांक 18 अक्टूबर 2024

शुद्धि-पत्र

निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ के पत्र संख्या-3001-02/स0क0/विकास/छात्रावास/541/2023-24, दिनांक-01.03.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-91/2024/2215/ 26-3-2024-1830533, दिनांक-29.07.2024 के माध्यम से राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मथुरा, राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास मथुरा एवं राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास ब्रज सिविल लाइन मथुरा में मरम्मत/सुदृढ़ीकरण के विभिन्न कार्यो हेतु क्रमशः धनराशि रू0-46.75 लाख, 35.86 लाख एवं रू0-29.47 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-112.08 लाख (रू0 एक करोड़ बारह लाख आठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उक्त के सम्बन्ध में निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1425/ स0क0/ विकास/छात्रावास/541/2024-25, दिनांक-18.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि ब्रज अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सिविल लाइन, जो कि अनुदानित छात्रावास है, जिसके संचालन का कार्य निजी प्रबन्ध तंत्र द्वारा किया जाता है, जिसमें मरम्मत/सुदृढ़ीकरण का कार्य नहीं कराया जाना है, जो त्रुटिवश प्रेषित कर दिया गया है। अतः ब्रज अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सिविल लाइन, मथुरा के मरम्मत/सुदृढ़ीकरण हेतु निर्गत की गयी धनराशि रू0-29.47 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति को निरस्त किया जाना है।

3- अतः समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-91/2024/2215/26-3-2024-1830533, दिनांक-29.07.2024 के माध्यम से जनपद-मथुरा में विभिन्न कार्यो हेतु निर्गत की गयी रू0-112.08 लाख (रू0 एक करोड़ बारह लाख आठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति में से ब्रज अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सिविल लाइन हेतु निर्गत की गयी धनराशि रू0-29.47 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को निरस्त करते हुये राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मथुरा के मरम्मत/सुदृढ़ीकरण कार्यो हेतु धनराशि रू0-46.75 लाख एवं राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास मथुरा के मरम्मत/सुदृढ़ीकरण कार्यो हेतु धनराशि रू0-35.86 लाख अर्थात कुल रू0-82.61 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त शासनादेश संख्या-91/2024/2215/ 26-3-2024-1830533, दिनांक-29.07.2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए तथा अन्य शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

Signed by (रजनी कान्त पाण्डेय)
उपसचिव
Rajani Kant Pandey
Date: 18-10-2024 10:47:12

संख्या-133 /2024/2803(1)/26-3-2024 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
2-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।
3-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
4-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- जिलाधिकारी, मथुरा।
7-जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0 शासन।
9- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
10- प्रबंध निदेशक, यू0पी0सिडको, लखनऊ।
11-निदेशक एन0आई0सी0, लखनऊ।
12-गार्डफाइल

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उपसचिव